



**न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना।**

रैयती वाद संख्या-07 / 2017-18

राजेश कुमार बनाम राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
31/01/18	<p align="center"><b>आंशिक संशोधित आदेश</b></p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के पत्र सं0-927(रा0), दिनांक 28.07.18 द्वारा सुचित किया गया है कि प्रश्नगत वाद में दिनांक-21.04.2018 को पारित आदेश में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के स्थान पर भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर टंकण भूल से अंकित हो गया है।</p> <p>अतः सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के धारा-152 एवं 153 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के स्थान भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी किया जाता है।</p> <p>शेष आदेश यथावत रहेंगे। इस आदेश की प्रति सम्बन्धि पदाधिकारीगण को भेज दें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p align="center">               (वजैन उद्दीन अंसारी)              अपर समाहर्ता, पटना         </p> <p align="center">               (वजैन उद्दीन अंसारी)              अपर समाहर्ता, पटना         </p>	